SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की विपणन रणनीतियों व हितग्राहियों की संतुष्टि का अध्ययन (बिलासपुर संभाग के तिफरा क्षेत्र के संदर्भ में)

शोभा अग्रवाल, (Ph.D.), वाणिज्य विभाग
पूजा मोटवानी, शोधार्थी, वाणिज्य विभाग
अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
शोभा अग्रवाल (Ph.D.),
पूजा मोटवानी

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 27/03/2023
Revised on : -----
Accepted on : 03/04/2023
Plagiarism : 01% on 27/03/2023

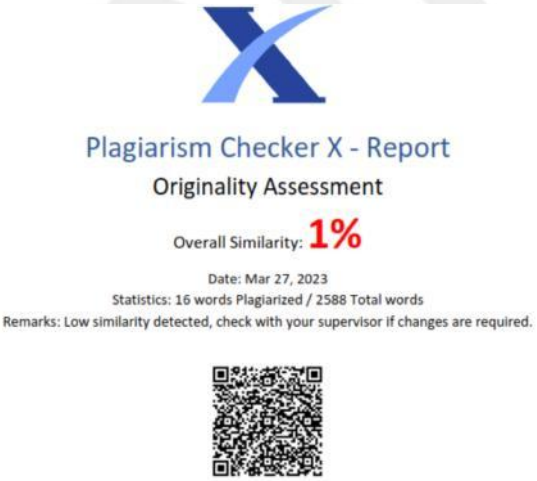

शोध सार

''छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की विपणन रणनीतियों व हितग्राहियों की संतुष्टि का एक अध्ययन'' मे शोध हेतु अपार संभावनाएँ है,। छत्तीसगढ़ राज्य एक वृहद समृद्ध एवं विकासशील राज्य है, जिसकी जनसंख्या प्रतिक्षण निरंतर बढ़ती जा रही है तथा आवास हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता –रोटी, कपड़ा, मकान में से एक है, ऐसे में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा यहाँ के रहवासियों को बसाने में अति महत्व पूर्ण कार्य कर रही है। प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकडों के रूप में प्रश्नावली विधि, प्रतिशत विधि एवं द्वितीयक आंकड़ों में समाचार पत्र, पुस्तकें तथा मण्डल द्वारा समय–समय पर जारी पत्र–पत्रिकाओं की सहायता ली गई है। उक्त शोध अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ सुधार पश्चात् मण्डल की विपणन रणनीतियां आवास विक्रय हेतु कारगर है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल 2211 निर्मित आवासों में से दिनांक – 31.01.2023 की स्थिति में 316 निर्मित संपत्तियाँ अविक्रित हैं। प्रस्तुत शोध छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रस्तावित शोध से विपणन रणनीतियों में अपेक्षित सुधार द्वारा उक्त अविक्रित आवासों का विक्रय किया जा सकता है एवं वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते है।

मुख्य शब्द

आवास, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, विपणन रणनीति, हितग्राहियों की संतुष्टि.

प्रस्तावना

''सब के लिये आवास'' के उद्देश्य को आत्मसात करते हुए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम,

1972 के अधीन 12 फरवरी, 2004 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का गठन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य एक वृहद राज्य है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने अपनी शुरूवात 2004 से सीमित संसाधनों से प्रारंभ की। धीरे–धीरे छत्तीसगढ़ राज्य में आवास क्रांति लाकर, मण्डल एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल जरूरतमंदो को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराकर, उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर को ऊंचा करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।

न्यूनतम मूल्य में, आर्थिक रूप से कमजोर व निम्न आय वर्ग के जरूरतमंदो को अधोसंरचना सहित गुणवत्ता युक्त मकान, उपलब्ध कराना ही छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का मुख्य कार्य है। इसका विश्वास, विशेष तौर पर इको फ्रैण्डली मकान निर्माण द्वारा धारणीय आवास अर्थात् जहाँ लोगों के रहने व उसके बाद उनकी पीढ़ियों के रहने हेतु आवास उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ गह निर्माण मण्डल –बिलासपुर संभाग

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग बिलासपुर की स्थापना वर्ष 12 फरवरी 2004 में की गई जिसके अन्तर्गत उपसंभाग क्रमांक 1, उपसंभाग क्रमांक 2, उपसंभाग क्रमांक 3 संचालित है। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जिला बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही समाहित है।

शोध साहित्य की समीक्षा

देवांगन, करूणा, (2016) ने अपने शोध कार्य में रायपुर संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों का (वर्ष 2002–03 से 2012–13 तक) विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का उद्देश्य तात्कालिक रूप से लाभ कमाना नहीं अपितु आवास निर्माण की आधुनिक धारणा इस बात को स्वीकार करती है कि आधुनिक आवास व्यवस्था गलियों के यांत्रिक विस्तार के साथ रहने हेतु मकानों के समूह का निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त आधुनिक भवन व्यवस्था प्रत्येक आवास के स्थान पर न्यूनतम् सुविधाओं को स्वीकार करती है, जिसमें हवा को इस पार से उस पार जाने पर प्रत्येक खिड़की से सुखद एवं शांति दृश्य पर्याप्त एकांतता, समुचित सफाई, बच्चों के लिए खेलने व मनोरंजन के स्थान आदि का समावेश होता है।

सिंह, वकील (1983) उत्तर प्रदेश में गृह निर्माण सहकारी समितियों का विकास में शोध अध्ययन में यह प्रस्तुत किया है कि उत्तप्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, उक्त रहवासियों को बसाने हेतु मकान निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं आवास नीतियों तथा सहकारी आवास समितियों के निर्माण की आवश्यकता है, जिस हेतु आय वर्गों के अनुसार आवास योजना अन्तर्गत कानपुर में विकास प्राधिकरण द्वारा 1981–82 में हुडको का निर्माण राज्य शासन द्वारा कराया गया जिसके अपने उद्देश्य अपेक्षाकृत पूर्ण नही हुए जबकि 1980–1981 में भवनों के निर्माण कार्य की प्रगति अच्छी रही।

कुमार, रोहित (2015) ने अपने शोध पत्र में यह बताया है कि भारत जैसे वृहद देश में आवास जैसी मूलभूत आवश्यकता सरकार जनसामान्य को मुहैया कराए, जिसमें शासन भू–अधिग्रहण, करों में कटौती, सब्सिडी आादि प्रयासों के माध्यम से कम मूल्य में उपलब्ध कराए साथ ही अध्ययन में प्रभावी योजनाओं द्वारा दूर–दराज के क्षेत्रों में आवास निर्माण के फलस्वरूप संचार एवं यातायात साधनों का भी तीव्र गति से विकास होगा।

सुल्ताना, सी. खमार, (2011) ने अपने शोध अध्ययन तमिलनाडु गृह निर्माण की आवास सुविधाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न आवासीय योजनाओ के माध्यम से अधिक से अधिक मात्रा में पूर्व से ही मकानों को मांग के अनुरूप निर्मित किया जाना केन्द्र, राज्य एवं गृह निर्माण मण्डलों की जिम्मेदारी है, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु अधिक मात्रा में मकानों के निर्माण राज्य एवं तमिलनाडु गृह निर्माण मण्डल द्वारा की जाए।

अध्ययन का उद्देश्य

1. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा अपनायी जा रही विपणन रणनीतियों का अध्ययन करना।
2. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के उपभोक्ताओं की संतुष्टि का अध्ययन करना।
3. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की अविक्रित संपत्तियों का अध्ययन करना।
4. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल विज्ञापन प्रभाविता का अध्ययन करना।
5. विभिन्न विपणन रणनीतियों की सापेक्ष सफलता का अध्ययन करना जिससे निवेश प्रतिफल में अपेक्षित सुधार हो।

शोध परिकल्पनाएँ

H_1 विभिन्न आय वर्गों को मकान विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की विपणन रणनीतियाँ प्रभावकारी/कारगर हैं।

H_{01} छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग– बिलासपुर से क्रय किये गये मकानों के स्वामी/उपभोक्ता पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु विश्लेष्णात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, बिलासपुर संभाग अंतर्गत अभिलाषा परिसर तिफरा उप संभाग क्रमांक – 01 क्षेत्र का चयन अध्ययन हेतु किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिसमे 80 आबंटियों से प्रश्नावली भरवाकर एवं प्रतिशत विधि का प्रयोग कर प्राथमिक समंक एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रकाशित समाचार पत्र–पत्रिका, मार्गदर्शिका, इंटरनेट, वेब–साईट द्वारा द्वितीयक समंकों का संग्रहण किया गया है। प्रस्तुत शोध में बिलासपुर संभाग के अभिलाषा परिसर तिफरा उप संभाग क्रमांक – 01 के 80 आबंटियां का सरल संभाव्य यादृच्छित प्रणाली में न्यादर्श चयन तकनीक का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन की सीमाएं

1. अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के बिलासपुर संभाग अंतर्गत बिलासपुर, जिले के अभिलाषा परिसर तिफरा, नगरीय निकाय को लिया गया है।
2. बिलासपुर, जिले के अभिलाषा परिसर, तिफरा 80 मण्डल हितग्राहियों से समंक एकत्रित किये गये।

आंकड़ो का विश्लेषण एवं व्याख्या

आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्राथमिक समंकों का प्रयोग कर आंकड़ों का संग्रह करके विशलेषण करने के लिए प्रतिशत विधी का उपयोग किया गया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र बिलासपुर के संपदा विभाग से 80 आबंटियों की सूची व उनके निवास स्थान की जानकारी प्राप्त कर, प्रश्नावली तैयारकर एवं प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा आंकड़े एकत्रित किए गए।

प्रश्न 01: आप छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के बारे में कैसे जानते है?

मद	संख्या	प्रतिशत
मित्र	14	17.50
सोशल मिडिया	20	25.00
पुराने क्रेता	08	10.00
समाचार पत्र	38	47.50
कुल संख्या	80	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

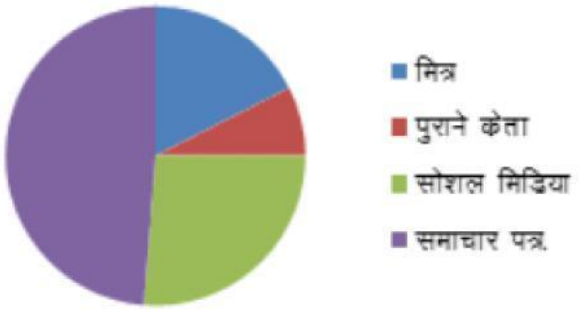

व्याख्या

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 17.50 प्रतिशत लोगों ने मित्र का, 25.00 प्रतिशत लोगों ने सोशल मीडिया का, 10.00 प्रतिशत, पुराने क्रेता 47.50 प्रतिशत लोगों ने समाचार पत्र का चयन किया है।

प्रश्न 02: आपने कितनी बार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग बिलासपुर के माध्यम से मकान क्रय किया है?

मद	संख्या	प्रतिशत
एक बार	50	62.50
दो बार	12	15.00
कभी नहीं	18	22.50
कुल संख्या	80	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

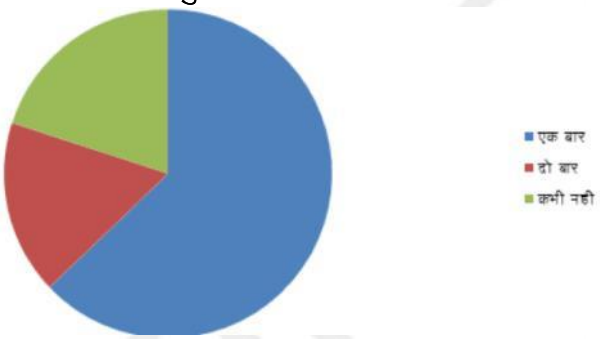

व्याख्या

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 62.50 प्रतिशत लोगों ने एक बार, 15.00 प्रतिशत लोगों ने दो बार 22.50 प्रतिशत लोगों ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग बिलासपुर के माध्यम से मकान क्रय कभी नही किया है।

प्रश्न 03: मकानों की खरीदी हेतु आपको सबसे ज्यादा क्या उत्साहित करता है?

मद	संख्या	प्रतिशत
छूट	40	50.00
मुफ्त उपहार	06	07.50
किश्तों में भुगतान की सुविधा	34	42.50
कुल संख्या	80	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

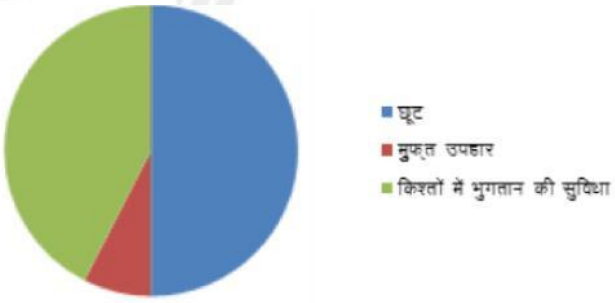

व्याख्या

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 50.00 प्रतिशत लोगों को छूट 07.50 प्रतिशत लोगों को उपहार दो बार, 42.50 प्रतिशत लोगों को किस्तों में भुगतान की सुविधा मकान क्रय करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

प्रश्न 04: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग बिलासपुर से आप किस प्रकार के मकान का चयन क्रय करने हेतु करेंगे?

मद	संख्या	प्रतिशत
ई. डब्लू. एस.	22	27.50
एल. आई. जी.	28	35.00
एम. आई. जी.	16	20.00
एच. आई. जी.	14	17.50
कुल संख्या	80	100.00

(स्त्रोत :– प्राथमिक समंक)

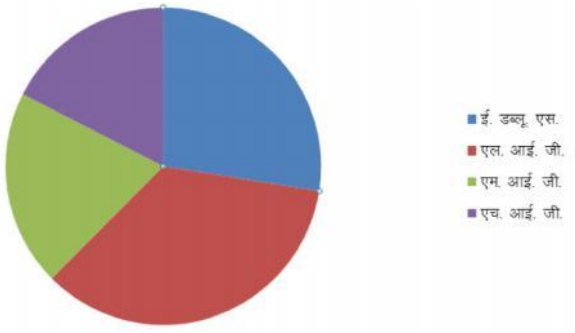

व्याख्या

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 27.50 प्रतिशत लोगों द्वारा ई.डब्ल्यू. एस मकान, 35.00 प्रतिशत लोगों द्वारा को एल. आई. जी., 20.00 प्रतिशत लोगो द्वारा को एम. आई. जी., 17.50 प्रतिशत लोगो द्वारा एच. आई. जी. मकान का चयन किया गया है।

प्रश्न 05: क्या आप छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं?

मद	संख्या	प्रतिशत
हाँ	28	35.00
नहीं	52	65.00
कुल संख्या	80	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

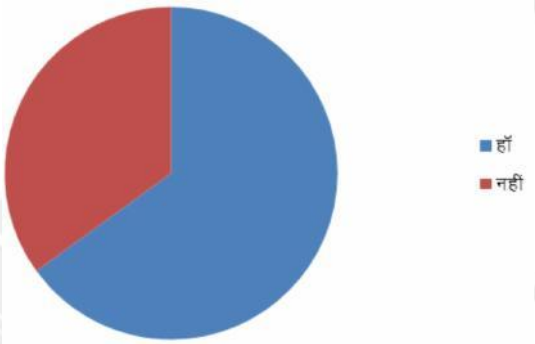

व्याख्या

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 35.00 प्रतिशत लोगों द्वारा मकान की गुणवत्ता में संतुष्टि एवं 65.00 प्रतिशत लोगों द्वारा असंतुष्टि जताई गई है।

प्रश्न 06: क्या आप छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की संरचना में बदलाव की अपेक्षा करते हैं?

मद	संख्या	प्रतिशत
हाँ	54	67.50
नहीं	26	32.50
कुल संख्या	80	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

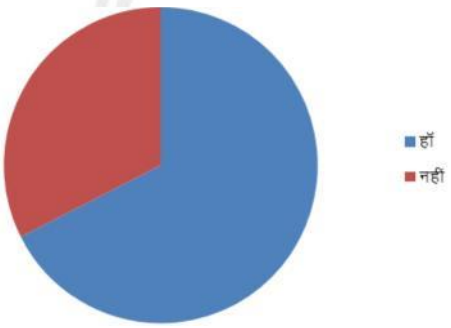

व्याख्या

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 67.50 प्रतिशत लोग छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की संरचना में बदलाव की अपेक्षा करते हैं तथा 32.50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की संरचना में बदलाव की अपेक्षा नहीं करते हैं।

प्रश्न 07: आप छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित किस प्रकार के .भवन क्रय करने हेतु प्राथमिकता देंगे?

मद	संख्या	प्रतिशत
प्रकोष्ठ	20	25.00
स्वतंत्र	44	55.00
उपरोक्त दोनों में से कोई भी	16	20.00
कुल	80	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

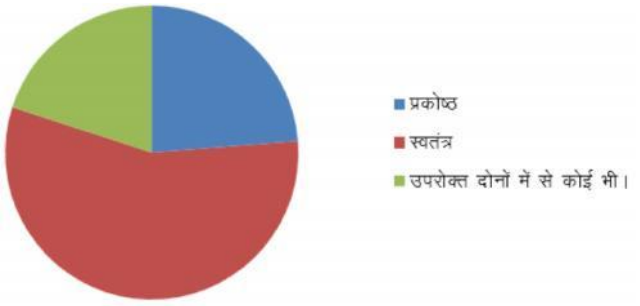

व्याख्या

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 25.00 प्रतिशत लोगों द्वारा प्रकोष्ठ भवन, 55.00 प्रतिशत लोगों द्वारा स्वतंत्र भवन तथा 20.00 प्रतिशत लोगो द्वारा मकान क्रय करने में उदासीनता प्रकट की गई है।

प्रश्न 08: आप मकान क्रय करने हेतु किस संस्था को प्राथमिकता प्रदान करेंगे?

मद	संख्या	प्रतिशत
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	42	52.50
निजी मकान निर्माता	30	37.50
अन्य	08	10.00
कुल	80	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

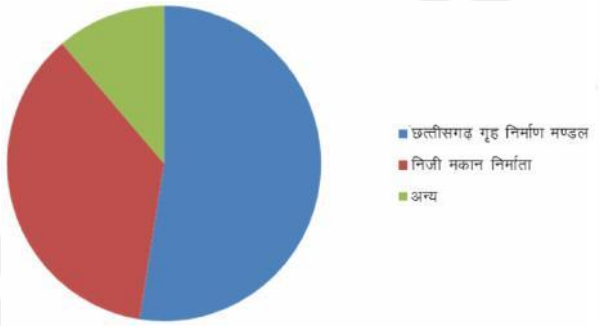

व्याख्या

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 52.50 प्रतिशत लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, 37.50 प्रतिशत लोगों द्वारा निजी निर्माताओं एवं 10.00 प्रतिशत लोगो द्वारा अन्य संस्था के माध्यम से मकान क्रय करने हेतु इच्छुक है।

प्रश्न 09: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में भवन क्रय करने हेतु आप किन सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे?

मद	संख्या	प्रतिशत
सामुदायिक भवन	18	22.50
व्यवसायिक परिसर	18	22.50
उद्यान	14	17.50
उपरोक्त सभी	30	37.50
कुल संख्या	80	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

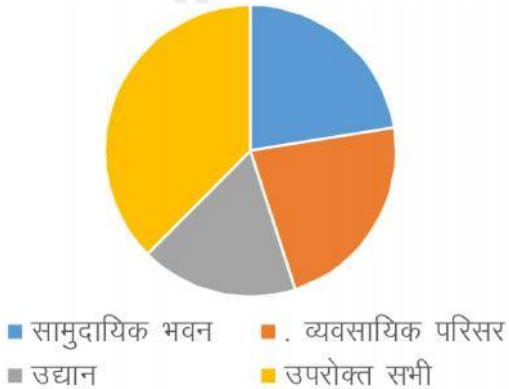

व्याख्या

उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 22.50 प्रतिशत लोगों द्वारा आवास हेतु, सामुदायिक भवन, 22.50 प्रतिशत लोगों द्वारा व्यवसायिक परिसर 17.50 प्रतिशत लोगों द्वारा उद्यान 37.50 प्रतिशत लोगों द्वारा सभी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है।

प्रश्न 10: आप छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को कितनी ग्रेडिंग देंगें?

मद	संख्या	प्रतिशत
01	14	17.50
02	12	15.00
03	12	15.00
04	30	37.50
05	12	15.00
कुल संख्या	80	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

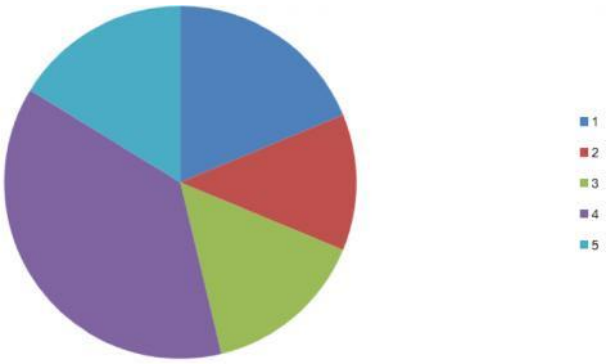

व्याख्या

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 17.50 प्रतिशत लोगों द्वारा एक ग्रेडिंग, 15.00 प्रतिशत लोगों द्वारा दो ग्रेडिंग, 15.00 प्रतिशत लोगो द्वारा तीन ग्रेडिंग एवं 37.50 प्रतिशत लोगों द्वारा चार ग्रेडिंग तथा 15.00 प्रतिशत लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को पांच ग्रेडिंग दिया गया है।

अतः उपर्युक्त प्राथमिक आंकड़ो का विश्लेषण करने पर प्रथम परिकल्पना H_1 विभिन्न आय वर्गों को मकान विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की विपणन रणनीतियाँ प्रभावकारी/कारगर हैं असत्य साबित होती है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को इस हेतु नई व प्रभावी विपणन रणनीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।

H_{01} छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग– बिलासपुर से क्रय किये गये मकानों के स्वामी/उपभोक्ता पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं, सत्य साबित होती है। मण्डल को उपभोक्ता संतुष्टि हेतु भवनो की गुणवत्ता व सुविधाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

निष्कर्ष

आवास सभी व्यक्तियों हेतु अत्यंत मूलभूत आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल इस महत्वपूर्ण कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एक ऐसी संस्था है जो अपने अधिकांश प्रतिस्पर्धियों के विपरीत आक्रामक रूप से मार्केटिंग पर अधिक ध्यान नहीं देती है, बल्कि न्यूनतम लागत पर गुणवत्तायुक्त मकान की पेशकश करने की अपनी अनूठी बिक्री स्थिती को बनाए रखती है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अपने हितग्राहियों को विक्रयोपरांत सेवाएं भी प्रदान करती है। पैम्फ्लेट, ब्रोशर, समाचार पत्र, आवास मेला का आयोजन, स्टॉल लगाना, कैनोपि आदि के माध्यम से विज्ञापन करके जन सामान्य को रिक्त विक्रय योग्य मकानों की जानकारी प्रदान करती है। उक्त शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मण्डल की विपणन रणनीतियां आवास विक्रय हेतु कारगर है पर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। विशेषतः छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल निम्न एवं मध्यम आय वर्ग को न्यूनतम मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण मकान उपलब्ध कराकर उनके रहवास की मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है। मण्डल के बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल 2211 निर्मित आवासों में से दिनांक – 31.01.2023 की स्थिति में 316 निर्मित संपत्तियॉं अविक्रित हैं। प्रस्तुत शोध से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की विपणन रणनीतियों में अपेक्षित सुधार द्वारा उक्त अविक्रित आवासों का विक्रय किया जा सकता है एवं वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते है।

सुझाव

1. प्रस्तुत शोध से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित अविक्रित आवासों के विक्रय में सरलता एवं सुगमता होगी।
2. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं के उपभोक्ताओं की आवास संबंधी समस्याओं के उचित समाधान का शीघ्र ही निराकरण किया जा सकेगा।

3. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की विपणन रणनीतियों व उपभोक्ता संतुष्टि के प्रयासों की सार्थकता, उपलब्धियाँ व सुधारात्मक पहलुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर, मण्डल की अविक्रित संपत्तियों के विक्रय से, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की वित्तीय तरलता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

संदर्भ सूची

1. देवांगन करूणा, (2016), रायपुर संभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों का विश्लेषण (वर्ष 2002–03 से 2012–23 तक)
2. सिंह, वकील, (1983), उत्तर प्रदेश में गृह निर्माण सहकारी समितियों का विकास।
3. Kumar Rohit, (2015), Chhattisgarh Housing Board as a Provider of Low Income Group Housing in Raipur, 8th International Conference on Recent Advances in Civil Engineering, Architecture and Sustainable Development.
4. Sultana, C. Khamar, A Study on the performance of the Tamil Nadu Housing Board in Providing House Facilities in Tamil Nadu.
5. *संगवारी पत्रिका,* छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल हितग्राही मार्गदर्शिका, प्रश्नोत्तरी, 2014।
6. कोठारी एन.एस एवं अग्रवाल आर..सी., (2018) *''विपणन का सिद्वान्त'',* साहित्य भवन पब्लिकेशन हाउस आगरा उत्तरप्रदेश।
7. सहाय आई. एम. सहाय, (2019) *''अन्तर्राष्ट्रीय विपणन'',* एस.बी..पी.डी. पब्लिकेशन हाउस।
8. अग्रवाल आर. सी. एवं कोनरी एन. एस., (2021) *''विपणन के सिद्वान्त''* एस.बी..पी.डी. पब्लिकेशन हाउस।
9. शर्मा, एन. सी., (2018) *''विपणन का सिद्वान्त'',* एस.बी..पी.डी. पब्लिकेशन हाउस।
10. साहा सतीश कुमार, (2020) *''अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान'',* एस.बी..पी.डी. पब्लिकेशन हाउस।
11. Connecting Generations - Coffee Table Book of Chhattisgarh Housing Board, 2014.
12. cghb.gov.in
13. cghb.cg.nic.in

****